Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 02/June/2024 IJRAW: 2024; 3(8):13-17 Accepted: 30/July/2024

दुष्कर्म से महिलाओं की शारीरिक तथा सामाजिक दशा में परिवर्तन का समाजशास्त्रीय अध्ययन

[*1]प्रेरणा दाहुजा और [2]डॉ. सतीश कुमार

[*1]शोधार्थी, सामाजिक विज्ञान विभाग, टॉटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर, राजस्थान, भारत।

[2]शोध निर्देशक, सामाजिक विज्ञान विभाग, टॉटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर, राजस्थान, भारत।

सारांश

दुष्कर्म एक सार्वभौमिक रूप से घटित होने वाली परिघटना है। दुष्कर्म पीड़िता के प्रति रखी जाने वाली नकारात्मक अभिवृत्ति भी सार्वभौमिक है जो भिन्नदृभिन्न प्रकार के समाजों और संस्कृतियों में भिन्न–भिन्न हो सकती हैं। परन्तु इसके विपरीत मानवशास्त्रियों ने यह माना कि दुष्कर्म सभी समाजों में घटित होने वाली परिघटना नहीं है। इस संबंध में सेंडी (1981) में हुए अपने अध्ययन के माध्यम से 'दुष्कर्म रहित समाजश की अवधारणा दी और अधिकतर समाजों में यही माना जाता रहा कि दुष्कर्म सभी समाजों में समान रूप से नहीं पाया जाता है, जब तक कि नारीवादियों ने इस संबंध में अपने विचारों को प्रकट नहीं किया था।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के दौरान दुष्कर्म एवं दुष्कर्म पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का मापन अनेक अवधारणाओं, आयामों एवं परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से किया गया है। इस परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि पीड़िता के प्रति समाज की अभिवृत्ति को नकारात्मक बनाने में कौन से कारक जिम्मेदार होते ? किस प्रकार की संरचनात्मक मूल्य, संस्कृति अथवा संस्था नकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में योगदान देती है?

इन प्रश्नों के उत्तरों की खोज के साथ साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति में कैसे सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य आयामों पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। जैसे कि दुष्कर्म को समाज द्वारा किस प्रकार समझा जाता है और समाज किस प्रकार दुष्कर्म को व्याख्यायित करता है, इस प्रशन का उत्तर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से खोजने का प्रयास किया गया है। साथ ही दुष्कर्म मिथक एवं दुष्कर्म पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति किस प्रकार अपनी निरन्तरता को बनाए रखती है, दुष्कर्म एवं बलत्कार पीड़िता के प्रति जो नकारात्मक अभिवृत्ति समाज में व्याप्त रहती है उसका पुनरुत्पादन किस प्रकार होता है, इसकी गहन पड़ताल करने का प्रयास किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अध्ययन के माध्यम से यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि दुष्कर्म की घटना घटित हो जाने के बाद पूरी नकारात्मक अभिवृत्ति, दोषारोपण, जिम्मेदारी एवं दुष्प्रभाव पीड़िता को ही क्यों उठानी पड़ती है? इन सभी प्रश्नों एवं समस्याओं का हल समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ढूँढने का प्रयास किया गया है। एवं अंत में नकारात्मक अभिवृत्ति और पीड़िता के पुनर्वास के मध्य अंतर्संबंधों को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हुए नीति निर्माण एवं नकारात्मक अभिवृत्ति को सकारात्मक बनाने हेतु कुछ उपयोगी सुझाव देने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दः दुष्कर्म, नारी विमर्श, मानसिक कष्ट

प्रस्तावना

भारत एक विकासशील देश है और विकसित देश की श्रेणी में शामिल होने के लिए अग्रसर है। आज 21 वीं सदी में भारत आधुनिक कहे जाने वाले समाज की लगभग सारी विशेषताएं अपने अन्दर समाहित करता है परन्तु इन सब के बावजूद आज भी तत्कालीन भारतीय

***Corresponding Author:** प्रेरणा दाहुजा

समाज में दुष्कर्म एवं दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति की स्वीकृति अत्यधिक देखने को मिलती है। कहीं कहीं यह नकारात्मक अभिवृत्ति एवं मौनता अपने चरम पर दिखाई पड़ती है। कुछ गिने चुने लोगों एवं संस्थाओं द्वारा ही इस पर कार्य एवं चर्चा की जाती है, परन्तु सामान्य जीवन में दुष्कर्म के सम्बन्ध में अधिकतर लोग मूक ही प्रतीत होते हैं। दुष्कर्म को सभी अपराधों में सर्वाधिक अमानवीय अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है। दुष्कर्म के अपराध में सर्वाधिक हानि महिला दुष्कर्म पीड़िता को उठानी पड़ती है। यह हानि न केवल शारीरिक, मानसिक होती है बल्कि यह पीड़िता के मानवाधिकारों का हनन करने वाली, पीड़िता की दैहिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी छीनने वाली होती है। अन्य अपराधों की अपेक्षा दुष्कर्म ही एक मात्र ऐसा अपराध है, जिसमें अपराधी के बजाए दुष्कर्म पीड़िता को दंडित किया जाता है।

शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के अलावा पीड़िता को सर्वाधिक सामाजिक रूप से मानहानि उठानी पड़ती है। दुष्कर्म व्यक्ति एवं समाज के विरुद्ध यौन हिंसा का एक हथियार है। दुष्कर्म पीड़िता को इस अति कष्टकारी घटना से उबारने के लिए समाज का सहयोग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परन्तु इसके बावजूद समाज की सकारात्मक अभिवृत्ति भी पीड़िता के शारीरिक एवं मानसिक क्षति की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। वृहद् स्तर के साहित्यिक मूल्यांकनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति लगभग सभी समाजों में देखने को मिलती है, यहाँ तक कि इस नकारात्मक अभिवृत्ति में पीड़िता के परिवार के सदस्य, जीवनसाथी, मित्र एवं पड़ोसी भी शामिल होते हैं (कैमोबेल एहरैस, 2001)।

दुष्कर्म पीड़िता के परिवार के सदस्यों की भी पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति इस कारण भी होती है क्योंकि दुष्कर्म पीड़िता के परिवार के सदस्य स्वयं को दुष्कर्म के दूसरे पीड़ित के रूप में महसूस करते हैं एवं इसका जिम्मेदार वे पीड़िता को समझते हैं। दुष्कर्म पीड़िता के साथ–साथ पीड़िता के परिवार के सदस्यों को भी नकारात्मक अभिवृत्ति का सामना करना पड़ता है, इस प्रकार के नकारात्मक अभिवृत्तियों के कारण परिवार के सदस्य पीड़िता पर अपना आक्रोश जाहिर करते हैं। ऐसी परिस्थितियों के चलते पीड़िता की दशा और भी खराब हो जाती है (बनीयार्ड, 2010)।

प्रस्तावित अन्वेषण महत्त्व

दुष्कर्म मात्र एक व्यक्ति के विरुद्ध किया गया अपराध नहीं है बल्कि यह सम्पूर्ण समाज के विरुद्ध किया गया अपराध है। दुष्कर्म के लिए जिम्मेदार कारकों में सामजिक–सांस्कृतिक कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं एवं इस अपराध का विस्तार वृहद् स्तर पर देखा जा सकता है, साथ ही साथ यह अपराध लगभग सभी कालखंडों एवं समाजों में विद्यमान रहा है। परन्तु इस समस्या पर बात करना अथवा अध्ययन करना अत्यधिक कठिन प्रतीत होता है। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि दुष्कर्म यौन क्रिया से जुड़ा अपराध है और यह अत्यधिक निजी एवं व्यक्तिगत भी होता है। लगभग सभी समाजों में यौन प्रक्रिया के संबंध में पहले से ही अनेक निषेध, मिथक एवं चुप्पी व्याप्त रहती है, साथ ही महिलाओं की यौनाचरण, यौन शुद्धता, प्रदूषण, शर्म, कलंक, सम्मान एवं शुभ अशुभ जैसे विचारों से घिरी रहती है। यही कारण है कि दुष्कर्म से संबंधित समस्याओं पर आम जन खुल कर चर्चा करने से बचते हैं और यही व्यवहार दुष्कर्म की समस्या को गंभीर रूप से बढ़ा देती है। अतः दुष्कर्म एवं दुष्कर्म पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति से संबंधित समस्याओं एवं मुद्दों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है।

समय के साथ साथ दुष्कर्म की घटनाओं में वृद्धि तीव्र होती जा रही है। (राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरो) के अनुसार वर्ष 2015 में भारत में प्रतिदिन 93 महिलायें दुष्कर्म की शिकार हो जाती थी और वर्ष 2018 में यह आकड़ा बढ़ कर 106 तक पहुंच गया है। जबकि इन वर्षों के दौरान कानून व्यवस्था, दुष्कर्म अधिनियमों में पहले की तुलना में काफी सुधार लाया गया है, दुष्कर्म के मामलों को न्यायालयों में फास्ट ट्रेक के माध्यम से देखा जा रहा है एवं दुष्कर्म की जांच हेतु नए तकनीकों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। इन सब उपायों के बावजूद भी दुष्कर्म की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है परन्तु न्यायिक मामलों में दोषियों को सजा पाने का प्रतिशत अत्यधिक कम है।

समाज में तो दुष्कर्म के संबंध में अत्यधिक निषेध एवं चुप्पी दिखती है परन्तु यही चुप्पी और कमी साहित्यों में भी देखने को मिलती है। खास कर समाजशास्त्र में इस समस्या पर अत्यधिक कम प्रकाश डाला गया है, जबकि दुष्कर्म प्रतिमानों एवं मूल्यों के टूटने के कारण भी घटित होता है। इसलिए यह देखना जरूरी हो जाता है कि समाजशास्त्र इस संबंध में क्या दृष्टिकोण रखता है एवं दुष्कर्म और दुष्कर्म के लिए उत्तरदायी कारकों को समाजशास्त्री किस परिप्रेक्ष्य से देखते एवं इसकी व्याख्या करते है।

अध्ययन की आवश्यकता

जहां अमेरिका में एक ओर दुष्कर्म पर लिखी गयी स्त्रीवादी सिद्धांत से संबंधित तीसरे–चौथे स्कूल स्थापित किये जा चुके हैं। तथा दार्शनिकों, वकीलों, स्त्रीवादियों, कैरेट प्रशिक्षकों, मनोचिकित्सकों से लेकर दुष्कर्म पीड़िताओं तक ने अपने अनुभवों को पुस्तकों एवं लेखों के माध्यम से साझा किया है, वहीं भारत में दुष्कर्म एक गंभीर समस्या होने के बावजूद इससे संबंधित लेखों, साहित्यों सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों में अत्यधिक कमी है। दुष्कर्म पीड़िताओं द्वारा अपने अनुभव साझा करने की बात तो दूर अनेक पीड़िततायें घटना की रिपोर्ट तक नहीं करती हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दुष्कर्म पीड़िता के प्रति समाज द्वारा बरती जाने वाली नकारात्मक अभिवृत्ति है। जिसमें दुष्कर्म के लिए अपराधी के बजाय पीड़िता को दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराया जाता जाता।

लगभग सभी समाजों में दुष्कर्म मिथकों की स्वीकृति के कारण ही पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। इसके कारण दुष्कर्म के सारे नकारात्मक परिणाम पीड़िता को भुगतने पड़ते है। मिथकों के प्रभाव में पीड़िता को ही दुष्कर्म के लिए उकसाने का दोषी माना जाता है, जिस कारण दुष्कर्म अपराधी की जवाबदेही लगभग समाप्त हो जाती है। समाज की सारी नकारात्मक अभिवृत्ति पीड़िता के प्रति केन्द्रित होने के कारण दुष्कर्म संस्कृति का जन्म होता है, जिसमें बलात्कारियों एवं अपराधियों द्वारा पीड़िता के प्रति किये गए यौन हमलों को न्यायसंगत ठहराने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है।

दुष्कर्म के संबंध में और दुष्कर्म पीड़िता के प्रति समाज की अभिवृत्ति का अध्ययन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि दुष्कर्म के संबंध में अभी तक जो भी अध्ययन हुए हैं उनमें दुष्कर्म एवं दुष्कर्म से संबंधित समस्यों की व्याख्या नारीवादी परिप्रेक्ष्यों से की गयी है परन्तु दुष्कर्म एवं दुष्कर्म से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर एवं समस्याओं का हल समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों एवं दृष्टिकोणों के माध्यम से अध्ययन करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे दुष्कर्म पीड़िता एवं दुष्कर्म पीड़िता के परिवार वाले घटना की रिपोर्ट कराने से बचते क्यों हैं ? समाज में दुष्कर्म के बजाय पीड़िता पर ही दोषारोपण क्यों किया जाता है ? दुष्कर्म मिथक क्या होते हैं ? किस प्रकार निर्माण होता है ? इन दुष्कर्म मिथकों का भरणपोषण एवं संचालन किस प्रकार होता है ? किसी भी समाज की पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति नकारात्मक अथवा सकारात्मक कैसे होती है ? अभिवृत्तियों के निर्माण में कौन कौन से घटक उत्तरदायी होते हैं ? और किस प्रकार नकारात्मक अभिवृत्ति को सकारात्मक अभिवृत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है ? सबसे महत्वपूर्ण इस प्रश्न की खोज करना है कि दुष्कर्म पीड़िता के पुनर्वास में कौन–कौन से घटक बाधा उत्पन्न करते हैं और इन बाधाओं को किस प्रकार दूर करके दुष्कर्म पीड़िता के पुनर्वास को सहज बनाया जा सकता है?

शोध समस्या

किसी भी शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए परिकल्पनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। परिकल्पना न केवल शोध का दिशानिर्देशन करती है बल्कि सीमांकन भी करती है। वेब्स्टर (1968) ने प्राक्कल्पना को निष्कर्ष निकालने और तर्क संगत या स्वानुभूत नतीजों का परीक्षण करने के लिए प्रयोगार्थ अनुमान कहकर परिभाषित किया है। विशेषीकृत रूप से प्रस्तुत शोध की प्रमुख परिकल्पनायें इस प्रकार हैं–

1. क्या दुष्कर्म की घटनाएँ महिला शिक्षा पर कुप्रभाव डाल रही है?
2. क्या रेप की घटनाएँ महिला की वेशभूषा, पहनावें की स्वतन्त्रता को भी प्रभावित कर रही है?
3. क्या रेप की घटनाएँ महिला रोजगार को भी पाबन्द कर रही है?

साहित्य का पुनर्रावलोकन

एंडरसन 2004 ने अपने लेख (जेंडर ऐज एंड रेप एंड सपोर्टिंइव) में यह बताया की यौन व्यवहार के बारे में सामाजिक नियमों से संकेत मिलते हैं अर्थात् किस परिस्थिति में कैसा यौन व्यवहार किया जाना चाहिए इस संबंध में समाज में पहले से ही कुछ नियम और मानदंड प्रचलित होते हैं। जिन्हें हम मिथक भी कहते हैं। एंडरसन ने अपने अध्ययन में पाया कि किस प्रकार समाज के कुछ नियम खास परीस्तिथियों में दुष्कर्म या यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों को वैध मानते हैं। एंडरसन ने कुछ परिस्थितियों का उल्लेख किया जिसमें महिलाओं का दुष्कर्म हो सकता है। एंडरसन ने अपने शोध में (मध्य विद्यालय, हाईस्कूल और विश्वविद्यालय) के छात्रों को शामिल किया। इन छात्रों को एक प्रश्नावली दी जिसमें उन्होंने उन परिस्थितियों का संकेत दिया जिसमें एक पुरुष एक महिला को मान सकता है कि वह सेक्स करना चाहती है। अपने शोध के परिणाम में पाया कि महिलाओं ने इन नियमों का कम समर्थन किया जबकि पुरुषों ने इन नियमों का न केवल समर्थन किया बल्कि विशेष परिस्थितियों में दुष्कर्म जैसे अपराधों को वैध भी ठहराया। एंडरसन ने अपने निष्कर्ष में कहा कि किशोरों के लिए यौन उत्पीड़न रोकने के कार्यक्रम के डिजाइन में यह निष्कर्ष उपयोगी हो सकते है।

स्कॉलर एवं इदरीश (2006) ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में कहा कि दुष्कर्म के संबंध में व्याप्त मिथक पीड़िता से सामाजिक दूरी को बढ़ाते हैं और समाज के लोग पीड़िता व अपराधी दोनों से ही सामाजिक दूरी बनाना चाहते हैं। वहीं दुष्कर्म और दुष्कर्म पीड़िता के प्रति समाज की अभिवृत्ति सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है। यह अभिवृत्ति महिलाओं को उनकी परम्परागत स्थिति में बनाए रखने पर जोर देता है, जो महिलाओं को विवश करता है कि वे अपनी परम्परागत भूमिका का पालन यथावत् करती रहें। परम्परागत एवं रूढिवादी विचारधारा के लोग दुष्कर्म पीड़िता को ही दुष्कर्म का दोषी मानते हैं।

जया श्रीवास्तव (2020) ने अपने लेख भमैपिंग दी ट्रेंड ऑफ रेप इन पंजाब एंड हरियाणा में पंजाब एवं हरियाणा में घटित होने वाले दुष्कर्म की घटनाओं का मापन किया। इसके साथ साथ अन्य शहरो में भी दुष्कर्म की घटनाओं के घटित होने की प्रवृत्तियों का मापन किया। मापन करने हेतु दुष्कर्म की दर के आधार पर अति उच्च दर, उच्च दर, मध्यम दर एवं निम्न दर में विभाजित करके प्रवृत्ति का मापन किया, साथ ही साथ पंजाब एवं हरियाणा के कुछ शहरों में भी दुष्कर्म , दुष्कर्म की प्रवृत्ति का मापन किया एवं पाया कि इन शहरों में दुष्कर्म की घटनाओं के घटित होने की एक सामान्य प्रवृत्ति है। जिसमें 2010 से 2020 के मध्य दुष्कर्म की घटनाओं की दर में लगातार वृद्धि हुई है। यह दर 2011 में 1.2 से बढ़ कर 1.6 हो गयी 2015 से 2020 तक यह दर बढ़ कर 1.7 हो गयी एवं कुछ राज्यों में दुष्कर्म की दर में उतार–चढ़ाव रहा परन्तु कुछ राज्यों में दुष्कर्म की दर बढी है

शारदा बैनर्जी (2022) ने अपनी पुस्तक दुष्कर्म संस्कृति और स्त्रीवाद में शारदा ने दुष्कर्म और भारत में व्याप्त दुष्कर्म संस्कृति पर गहनता से विचार विमर्श किया है। अपने प्रथम अध्याय में स्त्री शरीर के प्रति आधुनिक दार्शनिकों तथा स्त्रीवादियों के दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया है। शारदा ने वर्तमान समय में दुष्कर्म के प्रति समाज का रुख क्या है, और एक समस्या के रूप में दुष्कर्म के गति–प्रकृति तथा उसका सामाजिक मूल्यांकन किया है। शारदा ने अपनी पुस्तक में भारत में घटित चर्चित दुष्कर्म की घटनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की है और दुष्कर्म की व्यापकता एवं दुष्कर्म के प्रति सत्ता तंत्र के रवैये की विवेचना की है। शारदा ने दुष्कर्म पर विभिन्न स्त्रीवादियों द्वारा दिए गए दुष्कर्म के अलग–अलग सिद्धांतों के आधार पर दुष्कर्म की प्रकृ ति को समझने का प्रयास किया और दुष्कर्म का सैद्धांतिक अध्ययन किया।

निष्कर्ष

सामाजिक शोध का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना है, परन्तु यह प्रश्न बहुत लम्बे समय से विवाद का विषय रहा है क्या सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है ? वास्तव में सामाजिक घटनाओं से हमारा तात्पर्य, व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले उन सभी व्यवहारों क्रियाओं तथा चिन्तन पद्धतियों से होता है, जो वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन की विशेषतायें हैं और जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है इसके अतिरिक्त व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित एवं संचालित करने वाले सामाजिक नियमों, प्रेरणाओं तथा परिस्थितियों को भी हम सामाजिक घटनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित करते हैं। सामाजिक घटनाओं की इस विविधताओं को देखते हुए अक्सर यह आशंका की जाती है कि सामाजिक घटनायें एवं प्राकृतिक घटनायें एक–दूसरे के पूर्णतया समान नहीं हैं परन्तु यह भिन्नता सापेक्षिक हैं इसका यह अर्थ नहीं है कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया ही नहीं जा सकता है।

सामाजिक घटनाओं का तात्पर्य मुख्यतया मानवीय सम्बन्धों व्यवहारों तथा क्रियाओं से है। यह सभी सम्बन्ध तथा व्यवहार स्वयं में इतने जटिल होते हैं कि उन्हें समझ सकना बहुत कठिन है। इसका कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति की रुचियाँ, स्वभाव, योग्यता, सामाजिक प्रस्थिति, भूमिका तथा कार्य करने का ढंग अन्य व्यक्तियों से बहुत भिन्न होता है। इसका परिणाम यह होता है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के व्यवहारों में पूर्ण समानता नहीं पायी जाती है।

समाज की प्रकृति सिर्फ जटिल ही नहीं है अपितु इसमें सार्वभौमिकता का गुण भी नहीं है। संस्कृति, व्यवहार, रीति–रिवाज और रहन–सहन के तरीके एक स्थान से दूसरे स्थान में भिन्न हैं। बोली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह दस मील पर परिवर्तित हो जाती है। यही बात समाज पर भी लागू होती है। इन भिन्नताओं के कारण मानव में सार्वभौमिकता के गुण का अभाव पाया जाता है। सार्वभौमिकता के गुण के अभाव में समाजशास्त्र के नियम या सिद्धान्त सार्वभौमिक नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र में सार्वभौमिकता के गुण के अभाव में वैज्ञानिक तटस्थता नहीं पाई जाती है।

- पीड़िता को प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों के सहानुभूति एवं सहयोग की आवश्यकता होती है, अतः दुष्कर्म हो जाने की स्थिति में परिवार को चाहिए कि पीड़िता को दुष्कर्म के लिए दोष देने के बजाय पीड़िता के प्रति अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को अपनायें।
- परिवार द्वारा पीड़िता से घटना के संबंध में सहनुभूति पूर्वक बात करके, एफ० आई० आर० कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि परिवार द्वारा एफ० आई० आर० नहीं कराया जाता है तो पीड़िता चिकित्सीय, मनोचिकित्सीय सुविधा के साथ साथ न्यायिक सुविधा एवं न्याय से भी वंचित हो जाती है और अपराधियों को अपराध करने की प्रेरणा भी मिलती है।
- कई शोधों में यह पाया गया है कि परिवार को दुष्कर्म की खबर मिलने पर परिवार के सदस्यों द्वारा पीड़िता को बुरी तरह मारा पीटा जाता है। इस तरह के व्यवहार से पीड़िता को परिवार की तरफ से अत्यधिक नकारात्मकता का अनुभव होता है, जिस कारण पीड़िता आहत होकर आत्महत्या तक कर लेती है। अतरू परिवार को इस तरह के व्यवहार से बचना चाहिए।
- दुष्कर्म हमले के बाद पीड़िता को अत्यधिक मानसिक एवं शारीरिक आघात पहुंचता है, जिसके कारण पीड़िता का व्यवहार असामान्य एवं अनियन्त्रित हो जाता है। परिवार के सदस्यों को इस स्थिति में अत्यधिक संयम एवं नियंत्रित व्यवहार करना चाहिए। और पीड़िता को चिकित्सीय जांच के लिए ले जाना चाहिए, साथ ही साथ मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। इस व्यवहार से पीड़िता को परिवार की तरफ से सकारात्मक अभिवृत्ति की अनुभूति होगी और पीड़िता सुरक्षित महसूस करेगी एवं पीड़िता में अपराध बोध की भावना नहीं पनपेगी।
- पीड़िता के प्रति आस पडोस, नातेदारों का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि पीड़िता के प्रति हुए अपराध से पीड़िता को उबारने में सहयोग प्रदान करें। इसके लिए आस पड़ोस के लोगों को पीड़िता से बातचीत करना बंद नहीं करना चाहिए और न ही अपने बच्चों को पीड़िता के साथ खेलने अथवा मिलने से रोकना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. आहूजा, राम (2015), सामाजिक अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन्स, नयी दिल्ली। आईएसबीएन 978–8170338994
2. आहूजा, आर. मुकेश, ए. (1998), विवेचनात्मक अपराधशास्त्र. रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली द्य आईएसबीएन 8170334527
3. अरोड़ा, सुधा (2009), आम औरत और जिंदा सवाल, सामाजिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ०स० 6। आईएसबीएन 8171381529
4. आर्या, अनीता (2012), नारी–विमर्श रू बलात्कार–चित्कार रू मुजरिम फरार, 'मालतीश अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी ई–शोध पत्रिका, वर्ष–1, अंक–2, जुलाई–दिसम्बर, पृ० स० 16–19।